न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 26 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 113

नक्षत्र सिंह पुत्र हमीर सिंह निवासी वार्ड नं. 24 रायसिंहनगर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 08.07.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा कोई जवाब नहीं दिये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के पत्रांक / सूकाअ / 2024 / 3727 दिनांक 01.07.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में कार्यालय के पत्रांक / लेखा / 24 / 3617 दिनांक 03.05.2024 को प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवा दी गई थी।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं होने के आधार पर अपील प्रस्तुत की गयी हैं। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के साथ पत्र दिनांक 03.05.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी हैं जिसके द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी हैं। परन्तु सूचना अपीलार्थी को व्यक्तिशः अथवा रजि. डाक द्वारा प्रेषित किये जाने का साक्ष्य प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हैं।

इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के द्वारा सूचना चाही गयी थी कि –

"प्रार्थी नक्षत्र सिंह द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर अनूपगढ़ से जन सुनवाई में दिनांक 15.02.2024 को आवेदन किया गया था जिसमें श्रीमान् जिला कलक्टर अनूपगढ़ द्वारा उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर को जांच कमेटी का गठित कर रिपोर्ट देने बाबत आदेश दिये गये थे :1. आप द्वारा कमेटी गठित कर जांच करवाई गई उस जांच रिपोर्ट की प्रमाणित दी जावे। 2. जिन जिन कर्मचारियों को जांच कमेटी गठित कर जांच करवाई गई उन कर्मचारियों के नाम व पद की प्रमाणित दी जावे।"

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के द्वारा प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत छायाप्रति पत्र दिनांक 03.05.2024 जिसके द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गयी के अनुसार"श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय अनूपगढ़ के पत्रांक 39 दिनांक 15.02.2024 के द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर इस कार्यालय के पत्रांक जि.ज.सुनवाई / 24 / 08 दिनांक 21.02.2024 द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रायसिंनहगर को पत्र लिखा जाकर सूचना प्राप्त की गई, उक्त शिकायत के संबंध में इस कार्यालय द्वारा कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गई यदि आपको अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रायसिंहनगर की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति की आवश्यक्ता हो तो अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रायसिंहनगर के यहां आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।"

उपखण्ड अधिकारी को चाहिए था कि प्रकरण में कमेटी गठित नहीं की गयी इसकी सूचना आवेदक को देने के साथ साथ आवेदक द्वारा चाही गयी जांच रिपोर्ट आवेदक को उपलब्ध करवाते परन्तु ऐसा नहीं कर आवेदक को अधिशाषी अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जो सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विपरीत हैं। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता हैं कि निर्णय प्रति की प्राप्ति के सात दिवस के भीतर अपीलार्थी को रजि. डाक के माध्यम से सूचना प्रेषित करें। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)